भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1063

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 'सरोगेट ऑडिट' का कार्य

1063. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में 'सरोगेट ऑडिट' का कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की जानकारी में कौन-कौन से मामले आए हैं;

(ग) उक्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) देश में जिन विदेशी कंपनियों को लेखा परीक्षा कार्य करने की अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में उनके कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 25 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के अनुसार, कोई भी कंपनी, चाहे वह भारत में या कहीं और निगमित हो, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य नहीं करेगी या लेखापरीक्षा कार्य नहीं करेगी।

(ङ) और (च): प्रश्न नहीं उठता।

*****